



मतदाता संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Voter FAQs)

अमेरिका में चुनाव प्रबंधन अत्यधिक विकेंद्रीकृत है और प्रत्येक राज्य में मतदान प्रक्रियाएँ कानूनों के विशिष्ट सेट से नियंत्रित होती हैं। संघीय कानून कुछ ऐसी न्यूनतम सीमाएँ तय करते हैं जिनका राज्यों को पालन करना होता है। इसलिए, आपका स्थानीय चुनाव कार्यालय व्यावहारिक पंजीकरण और मतदान जानकारी का बेहतरीन स्रोत है।

अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंकस और अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय को खोजने के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

मतदाता द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले अतिरिक्त प्रश्न:

- [राष्ट्रीय राज्य चुनाव निदेशक संघ \(National Association of State Election Directors, NASED\)](#)
- [राष्ट्रीय राज्य सचिव संघ \(National Association of Secretaries of State, NASS\)](#)

चुनाव कैसे आयोजित किए जाते हैं

मेरे राज्य में चुनाव प्रभारी कौन है?

प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है जिसकी राज्य और संघीय चुनावों में निगरानी करने वाले या सलाहकार की भूमिका होती है। बहरहाल, आमतौर पर चुनाव काउंटी स्तर पर कराए जाते हैं, हालाँकि कुछ राज्यों में शहर या टाउनशिप चुनाव कराते हैं। कोई भी दो राज्य एक ही तरह से चुनाव नहीं कराते हैं और एक राज्य में भी विभिन्नताएँ हो सकती हैं। चुनाव एक व्यक्ति या विभाग, चुनाव बोर्ड या आयोग या दो या दो से अधिक संस्थाओं के संयोजन द्वारा संचालित किए जा सकते हैं।

अमेरिका में चुनाव प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकृत है अमेरिका में 10,000 से अधिक चुनाव क्षेत्राधिकार हैं। इन क्षेत्राधिकारों का अलग-अलग आकार है, सबसे छोटे शहरों में केवल कुछ सौ पंजीकृत मतदाता हैं और देश में सबसे बड़े क्षेत्राधिकार में 5 मिलियन से अधिक मतदाता हैं। स्थानीय चुनाव अधिकारी समय से पहले मतदान के दौरान और चुनाव के दिन मतदाताओं की सहायता करने वाले प्रशिक्षित मतदान कर्मियों (अक्सर द्विदलीय) पर भी निर्भर रहते हैं। अपने समाशोधन गृह (clearinghouse) प्रकार्य के माध्यम से, EAC चुनाव अधिकारियों की सहायता करने के लिए मार्गदर्शन और सर्वोत्तम पद्धतियाँ उपलब्ध कराता है लेकिन EAC के पास चुनावों की विनियामक निगरानी नहीं है।

eac.gov/vote पर जाकर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें कि आपके राज्य में चुनाव कौन संचालित करता है।

मतदान कर्मी क्या करता है? मैं कैसे स्वयंसेवा करूँ?

चुनाव संचालित करने के लिए मतदान कर्मी अनिवार्य हैं। मतदान कर्मी चुनाव की सुबह मतदान प्रारंभ करने; मतदाताओं की जाँच करने और मतपत्र जारी करने; मतदाताओं की सहायता करने; चुनाव कानूनों और प्रक्रियाओं को लागू करने; मतपत्रों, मतदान उपकरणों, और सामग्री की अभिरक्षा (कस्टडी) की खंखला बनाए रखने; मतदान समाप्त करने और स्थान पर आने वाले मतदाताओं की संख्या का डाले गए मतपत्रों की संख्या से मिलान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

आमतौर पर, चुनाव कर्मियों को स्थानीय चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और वे टीमों (प्रायः द्विदलीय) में काम करते हैं। चुनाव कर्मी चुनाव कानूनों को बरकरार रखने और चुनाव की सुरक्षा की रक्षा करने की शपथ लेते हैं।

अपने राज्य में मतदान कर्मी के रूप में साइन अप करने के तरीके के बारे में जानकारी पाने के लिए अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या helpamericavote.gov पर जाएँ।

चुनाव का निरीक्षण कौन कर सकता है?

चुनाव प्रक्रिया में कदमों पर नजर रखने वाले चुनाव प्रेक्षक (observers) आम लोगों में से होते हैं जिन्हें कभी-कभी "मतदान निरीक्षक" (poll watchers) कहा जाता है। चुनाव निरीक्षण कौन कर सकता है, इस बारे में प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के कानून और प्रक्रियाएँ हैं लेकिन आमतौर पर राजनीतिक दल या गैर-दलगत समूह जैसे संगठनों के सदस्य, उम्मीदवार प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षक, निकास मतदान समूह, शिक्षाविद या संबंधित संघीय और राज्य एजेंसियाँ चुनाव प्रेक्षक हो सकते हैं।

मतदान प्रेक्षक की भूमिका है कि वह मतदाता निजता का उल्लंघन किए बिना या चुनाव में बाधा डाले बिना, चुनाव का निरीक्षण और निगरानी करे। मतदान निरीक्षकों को नियंत्रित करने वाले नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं। अपने समुदाय में मतदान निरीक्षकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। eac.gov/vote पर जाकर अपने राज्य में चुनाव प्रेक्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

मुझे चुनाव परिणाम कहाँ मिलेंगे?

चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने के बाद स्थानीय क्षेत्राधिकारों द्वारा राज्य चुनाव अधिकारियों को प्रारंभिक चुनाव परिणाम प्रेषित किए जाते हैं। इसके बाद, राज्य की चुनाव वेबसाइट पर अनौपचारिक परिणाम पोस्ट किए जाते हैं और मीडिया को रिपोर्ट किए जाते हैं। चुनाव अधिकारी अनंतिम मतपत्रों, गैर-मौजूद व्यक्ति तथा डाक द्वारा मतपत्रों और सैन्य तथा देश से बाहर मतदाताओं द्वारा डाले गए मतपत्रों सहित सभी पात्र मतपत्रों की गिनती जारी रखते हैं, इसलिए ये प्रारंभिक परिणाम चुनाव दिवस के बाद बदल सकते हैं। सभी मतपत्रों की गिनती होने, इनका मिलान होने और कैनवस नामक प्रक्रिया में इनका प्रमाणन होने पर अंतिम परिणाम पोस्ट और रिपोर्ट किए जाते हैं, इसमें कई दिन या कभी-कभी सप्ताह लग सकते हैं।

राज्य चुनाव परिणामों के बारे में जानकारी के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

चुनाव की रात के बाद चुनाव परिणाम बदल क्यों जाते हैं? चुनाव परिणाम कब अंतिम होते हैं?

चुनाव अधिकारी चुनाव की रात जितना हो सके अधिक से अधिक मतपत्रों की गिनती करते हैं, लेकिन चुनाव की रात के परिणाम गैर-आधिकारिक होते हैं और कभी अंतिम नहीं होते। डाक, अनंतिम और सैन्य तथा देश से बाहर के मतपत्रों की गिनती कब की जा सकती है, इसके लिए प्रत्येक राज्य के अलग-अलग नियम हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में चुनाव के दिन तक सभी डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त करना अपेक्षित होता है। अन्य राज्य तब डाक द्वारा मतपत्र गिनने की अनुमति तभी देते हैं यदि उन्हें चुनाव के दिन तक पोस्टमार्क किया जाए और वे निर्धारित तारीख तक प्राप्त हो जाएं।

जब सभी मतपत्र प्राप्त हो जाते हैं, तब जांच शुरू होती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुल वोटों का विश्लेषण शामिल होता है ताकि मतदाताओं की संख्या और डाले गए मतपत्रों की संख्या के बीच किसी भी विसंगति को पहचाना जा सके और इसे हल किया जा सके। अधिकांश राज्य इससे आगे यह सत्यापित करने के लिए ऑडिट भी करते हैं कि कुल वोट सटीक हैं।

जांच (और कई राज्यों में, ऑडिट) पूरा होने के बाद, चुनाव परिणाम को फाइनल के रूप में प्रमाणित किया जाता है। चुनाव परिणामों, जांच और प्रमाणीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें: <https://www.eac.gov/election-officials/election-results-canvass-and-certification>

मुकाबले के करीबी होने या किसी उम्मीदवार या हित समूह द्वारा इसका अनुरोध करने पर प्रमाणन प्रक्रिया के बाद कुछ रैसों या मुकाबलों की दोबारा गिनती की जा सकती है। दोबारा गिनती ऑडिट से इस मायने में अलग होती है कि किसी मुकाबले में प्रत्येक मतपत्र या चुनाव में मुकाबलों के सबसेट की दोबारा गिनती की जाती है और इसके परिणामस्वरूप चुनाव के आधिकारिक परिणाम बदल सकते हैं।

क्या मतदान प्रणालियाँ सुरक्षित हैं?

भरोसेमंद चुनावों के लिए मतदान प्रणालियों की सुरक्षा आवश्यक है। चुनाव सहायता आयोग (Election Assistance Commission, EAC) स्वैच्छिक मतदान प्रणाली दिशा-निर्देश (VVSG) तैयार करता है जो सुरक्षा और सत्यनिष्ठा मानकों सहित विनिर्देशों और अपेक्षाओं का ऐसा सेट है जिसका प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए मतदान प्रणालियों द्वारा पालन करना होगा। EAC इन मानकों पर मतदान प्रणालियों का परीक्षण करने वाली मतदान प्रयोगशालाओं को भी मान्यता देता है। EAC परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम में भाग लेना स्वैच्छिक है, लेकिन अधिकांश राज्य EAC के परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हैं। राज्य मतदान प्रणालियों के लिए इससे भी कड़ी अपेक्षाएँ लागू करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

मतदान प्रक्रिया सुरक्षित रखने और इसके चुनाव परिणामों का भरोसेमंद होना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और स्थानीय क्षेत्राधिकार आम समझ की प्रक्रियाओं और उपकरणों का इस्तेमाल करता है। सामान्य सर्वोत्तम पद्धतियों में तालों, छेड़छाड़-दर्शनी वाली सील्स, सुरक्षा कैमरों, चुनाव से पहले और बाद में प्रणाली परीक्षण, ऑडिट्स और वास्तविक और साइबर सुरक्षा पहुँच नियंत्रणों का इस्तेमाल करना शामिल है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी भी होता है जो सुनिश्चित करता है कि इन कानूनों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए।

मतदान प्रणालियों के लिए सामान्य सुरक्षा उपाय:

- परीक्षित और प्रमाणित मतदान प्रणालियाँ खरीदना
- सभी डिवाइसों को स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रोग्राम करना
- चुनाव से पहले मतदान उपकरणों की सटीकता का परीक्षण करना
- चुनावों को द्विदलीय मतदान कर्मियों और प्रेक्षकों के साथ संचालित करना
- यह सत्यापित करना कि मतदान किए गए मतपत्रों की कुल संख्या मतदाताओं की कुल संख्या से मेल खाती हो
- यह सुनिश्चित करने के लिए मतपत्रों की जाँच करना कि मतदान उपकरणों ने मतदानों को सटीक रूप से गिना हो
- सभी मतपत्रों और मतदान उपकरणों को एक टीम से अगली टीम या एक स्थान से अगले स्थान में स्थानांतरित करने के संबंध में कम से कम दो (आदर्श रूप से द्विदलीय) गवाहों द्वारा प्रलेखन और सत्यापन करना
- वास्तविक सुरक्षा पहुँच नियंत्रण बनाए रखना

मतपत्र हमेशा चुनाव कराने वाले स्थानीय चुनाव अधिकारियों की अभिरक्षा (कस्टडी) में रहते हैं। चुनाव के बाद मतपत्रों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाना भी आवश्यक है ताकि ऑडिट या फिर से गणना के भाग के रूप में उनकी समीक्षा की जा सके। चुनाव सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें: <https://www.eac.gov/voters/election-security>.

अपने राज्य में चुनाव सुरक्षा के बारे में जानकारी के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए [eac.gov/vote](https://www.eac.gov/vote) पर जाएँ।

क्या मैं चुनाव के नतीजे पर भरोसा कर सकता/ती हूँ?

आम लोगों को इस बारे में आश्चस्त करने के लिए बहुत से तरीके और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं कि चुनाव के नतीजों पर भरोसा किया जा सकता है। चुनाव अधिकारी अक्सर चुनाव प्रबंधन में राज्य से प्रशिक्षण और पेशेवर निर्देश प्राप्त करते हैं। चुनाव प्रक्रिया के लगभग प्रत्येक भाग में सभी चुनाव कानूनों को बनाए रखने और चुनाव की सुरक्षा को बचाने की शपथ लेने वाले दो या दो से अधिक प्रशिक्षित अधिकारियों की भागीदारी अपेक्षित होती है। चुनाव की निगरानी या इस पर नज़र रखने के लिए चुनाव प्रेक्षक जिन्हें कई बार "मतदान निरीक्षक" कहा जाता है, भी मौजूद हो सकते हैं।

मतपत्र स्कैनर सहित वोटिंग मशीनों का परीक्षण किया जाता है और इन्हें [कुछ सटीकता मानकों](#) के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। अधिकांश राज्यों में प्रत्येक चुनाव से पहले मतदान प्रणालियों पर तर्क और सटीकता परीक्षण अपेक्षित होता है। चुनाव पूर्व परीक्षण के अलावा, अधिकांश राज्यों में प्रत्येक चुनाव के बाद ऑडिट्स भी अपेक्षित हैं। ऑडिट के दौरान, चुनाव अधिकारी मशीन की गिनती की सटीकता की पुष्टि करने के लिए कागजी मतपत्रों की समीक्षा करते हैं। ऑडिट से यह सुनिश्चित होता है कि मतपत्रों की गिनती मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप की गई थी और चुनाव के नतीजे विश्वसनीय हैं। ऑडिट्स के बारे में अधिक जानकारी EAC रिपोर्ट [अमेरिका में चुनाव ऑडिट्स \(Election Audits Across the United States\)](#) में देखी जा सकती है।

आपके राज्य में मतपत्रों की गिनती कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

चुनाव अधिकारी किसी व्यक्ति को दो बार मतदान करने से कैसे रोकते हैं?

प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक वोट होता है, यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में से एक है। मतदाता चुनाव में केवल एक ही मतपत्र डालें या यदि कोई मतदाता एक से अधिक मतपत्र डालता है (अर्थात्, डाक से भेजे गए मतपत्र से मतदान करता है और फिर चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की कोशिश करता है) तो केवल एक ही मतपत्र गिना जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारी कई कदम उठाते हैं। ऐसा करने के लिए, चुनाव अधिकारी वर्तमान और सटीक मतदाता सूचियाँ बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी हैं और बहुत से राज्य पंजीकरण और मतदान रिकॉर्ड्स की अन्य राज्यों से तुलना करते हैं। चुनाव अधिकारी इसका विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं कि मतदाताओं को मतपत्र कब जारी किए गए, और क्या वे मतपत्र डाले गए थे।

यदि किसी मतदाता की पात्रता सत्यापित नहीं की जा सकती है (जैसे मतदाता पात्र मतदाताओं की सूची में नहीं था, मतदाता की जानकारी अधूरी थी या सही नहीं थी या मतदाता को पहले ही डाक में मतपत्र प्राप्त हो चुका था और उसे मतदान करने की अनुमति थी), तो उन्हें अनंतिम या सुरक्षित मतपत्र पर मतदान की अनुमति दी जा सकती है। अनंतिम मतपत्रों को अन्य मतपत्रों से अलग रखा जाता है और इन्हें केवल तभी संसाधित किया और गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी ने सत्यापित कर दिया हो कि मतदाता योग्य है और उसने चुनाव में पहले ही मतदान नहीं किया है।

जब कोई मतदाता डाक द्वारा मतपत्र का अनुरोध करता है, तब चुनाव अधिकारी सत्यापित करते हैं कि मतदाता द्वारा अनुरोध मतपत्र जारी किए जाने से पहले किया गया था। जब कोई मतपत्र चुनाव कार्यालय को लौटाया जाता है, तब अधिकारी (प्रायः द्विदलीय टीम) यह सुनिश्चित करने के लिए मतपत्र के लिफाफे पर हस्ताक्षर या पहचान कराने वाली अन्य जानकारी को सत्यापित करते हैं कि इसे मतदाता द्वारा डाला गया था। यदि आवश्यक जानकारी गायब हो या अधूरी हो, या यदि हस्ताक्षर की जरूरत हो और यह फाइल पर मौजूद हस्ताक्षर से मेल न खाता हो, तो मतपत्र को नहीं गिना जाएगा। कुछ मामलों में मतदाता को सूचित किया जा सकता है और दिक्कत को दूर करने का अवसर दिया जा सकता है।

आपके राज्य में मतपत्रों को कैसे ट्रैक किया जाता है और इनकी गिनती कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

मतदाता पंजीकरण

मैं मतदान के लिए पंजीकरण कैसे कराऊँ?

नॉर्थ डकोटा के सिवाए सभी राज्यों में आपको चुनाव में भाग लेने के लिए मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत होती है। पात्रता संबंधी अपेक्षाएँ राज्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं, लेकिन सामान्यतया मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए:

- आप अमेरिकी नागरिक अवश्य होने चाहिए
- चुनाव के दिन आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए
- आपको निवास संबंधी निश्चित अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करना चाहिए

आप व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा और बहुत से राज्यों में ऑनलाइन मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं या आपको अपने पंजीकरण को नवीनतम रूप देने की जरूरत है, तो अपने राज्य की समय-सीमा के भीतर ऐसा करना सुनिश्चित करें। कुछ राज्य मतदाताओं को चुनाव के दिन पंजीकरण कराने की अनुमति देते हैं लेकिन अन्य राज्यों में चुनाव से 30 दिन पहले तक की समय-सीमा होती है।

कुछ राज्य 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मतदान के लिए पहले से पंजीकरण कराने की अनुमति देते हैं जिससे वे पात्र होते ही मतदान कर सकें।

पंजीकरण अपेक्षाओं के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ। आप राष्ट्रीय मेल मतदाता पंजीकरण फॉर्म (National Mail Voter Registration Form) भी डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्थ डकोटा, न्यू हैम्पशायर और व्योमिंग के सिवाए प्रत्येक राज्य में मतदान संबंधी पंजीकरण के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह 21 भाषाओं में उपलब्ध है। यह फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, इस पर जाएँ: <https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form>

मैं अपनी राजनीतिक पार्टी संबद्धता कैसे बदलूँ?

आपकी राजनीतिक दल संबद्धता बदलने की प्रक्रिया आमतौर पर मतदान के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया के समान ही होती है।

कुछ राज्यों में आपसे यह अपेक्षित होता है आप कि पंजीकरण कराते समय अपनी पार्टी संबद्धता घोषित करें जबकि कई अन्य राज्य आपकी पार्टी संबद्धता ट्रेक नहीं करते हैं। यदि आपका राज्य पार्टी संबद्धता ट्रेक करता है तो आपके मतदाता पंजीकरण फॉर्म में आपके लिए अपनी राजनीतिक पार्टी संबद्धता घोषित करने संबंधी प्रश्न होगा।

कुछ राज्यों में प्राथमिक चुनावों में मतदान करने के लिए मतदाताओं से यह अपेक्षित होता है कि वे किसी पार्टी संबद्धता के साथ पंजीकरण करें। (आमतौर पर नवंबर में होने वाले) आम चुनावों में आप अपने पसंदीदा किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, भले ही आपकी पार्टी संबद्धता कुछ भी हो।

अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ जहाँ आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मैं अपनी मतदाता जानकारी (नाम, पता, राजनीतिक दल इत्यादि) को नवीनतम रूप कैसे दूँ?

आपके मतदाता पंजीकरण को नवीनतम रूप देने की प्रक्रिया आमतौर पर मतदान के लिए पंजीकरण कराने की प्रक्रिया के समान ही होती है।

अपनी मतदाता पंजीकरण जानकारी को तब नवीनतम रूप दें, यदि:

- आप किसी अन्य स्थान पर रहने लगे हों
- आपने अपना नाम बदला हो
- आप अपनी राजनीतिक पार्टी संबद्धता बदलना चाहते हों
- आपने पिछले चार वर्षों में मतदान न किया हो

मतदान के लिए पंजीकरण कराने के संबंध में अपने विकल्प खोजने के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ। आप अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में कागजी [राष्ट्रीय डाक मतदाता पंजीकरण फॉर्म \(National Mail Voter Registration Form\)](#) भी जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म का इस्तेमाल नॉर्थ डकोटा, न्यू हैम्पशायर और व्योमिंग के सिवाए प्रत्येक राज्य में मतदान करने के लिए पुनः पंजीकरण के लिए किया जा सकता है और यह 21 भाषाओं में उपलब्ध है।

मैं अपनी मतदाता पंजीकरण जानकारी की जाँच कैसे करूँ?

प्रत्येक राज्य आपके पंजीकरण की पुष्टि करने के तरीके सहित अपने स्वयं के मतदान नियम बनाता है। आप आम तौर पर ऑनलाइन या अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करके अपनी मतदाता पंजीकरण जानकारी जाँच सकते हैं। यदि आप मतदान के लिए पहले ही पंजीकृत हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच करना महत्वपूर्ण है कि आपकी मतदाता पंजीकरण जानकारी वर्तमान और सटीक हो, विशेषकर यदि आप हाल ही में किसी अन्य स्थान पर रहने लगे हों या आपने अपना नाम बदला हो। आप जहाँ रहते हैं, वहाँ की सबसे विस्तृत और नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

मैं अपना मतदाता पंजीकरण कैसे रद्द करूँ?

अपने मतदाता पंजीकरण रद्द करने के इच्छुक मतदाताओं के लिए राज्यों और स्थानीय क्षेत्राधिकारों में अलग-अलग विकल्प हैं। यदि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं और अपना मतदाता पंजीकरण रद्द करना या वापस लेना चाहते हैं, तो आपका स्थानीय चुनाव कार्यालय आपकी सहायता कर सकता है। अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएं जहाँ आपको स्थान चुनाव कार्यालयों की डायरेक्टरी मिल सकती है।

मैं अब अपने पते पर न रहने वाले पंजीकृत मतदाता या मर चुके पंजीकृत मतदाता के बारे में कैसे रिपोर्ट करूँ?

यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चुनाव डाक मिलती है जो अब आपके पते पर नहीं रहता है या जिसकी मृत्यु हो गई है, तो स्थानीय चुनाव कार्यालय को इस बारे में जानकारी देने के लिए उससे संपर्क करें।

मतदाता पंजीकरण सूचियों को नवीनतम बनाए रखना चुनाव व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सभी राज्य मतदाता पंजीकरण सूचियों को नवीनतम रखने के लिए कदम उठाते हैं लेकिन कभी-कभी चुनाव कार्यालयों को पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति कहीं अन्य स्थान पर रहने लगा है या उनकी मौत हो गई है। अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएं जहाँ आपको स्थानीय चुनाव कार्यालयों की डायरेक्टरी मिल सकती है।

मतदान के तरीके

मैं चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से मतदान कैसे करूँ?

सभी राज्य मतदाताओं को चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का विकल्प प्रदान करते हैं। कुछ राज्यों में, चुनाव के दिन मतदान के लिए मतदाताओं को किसी खास जगह जाना पड़ता है जबकि अन्य राज्य ऐसे मतदान केंद्र उपलब्ध करवाते हैं जहाँ संबंधित क्षेत्राधिकार का कोई भी मतदाता अपना मतपत्र डाल सकता है।

अपने मतदान स्थल, समय और आपके द्वारा मतदान के लिए अपने साथ किसी भी चीज (जैसे ID) को लाने की जरूरत के बारे में जानने के लिए अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएं।

मैं समय से पहले मतदान कैसे करूँ?

बहुत से राज्य मतदाताओं को चुनाव के दिन से पहले व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की अनुमति देते हैं। कुछ राज्यों में, समय से पहले मतदान में स्थानीय चुनाव कार्यालय में मतपत्र डालना शामिल होता है जबकि कई अन्य राज्यों में आप चुनाव के दिन होने वाले मतदान के समान ही मतदान स्थल पर मतदान कर सकते हैं। क्या आपका राज्य चुनाव के दिन से पहले व्यक्तिगत मतदान की पेशकश करता है और आप कहाँ मतदान कर सकते हैं, इसे जानने के लिए eac.gov/vote पर जाएं, अपने राज्य या क्षेत्र का चयन करें और 'गैर-मौजूद/डाक और/या समय से पहले मतदान जानकारी' ('Absentee/Mail and/or Early Voting Information') के लिंक पर क्लिक करें।

मैं डाक से मतदान कैसे करूँ?

डाक से कौन मतदान कर सकता है, इस बारे में प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के नियम हैं। कुछ राज्यों में डाक से मतदान के लिए कोई कारण अपेक्षित होता है, कुछ राज्य किसी भी व्यक्ति को डाक द्वारा मतपत्र का अनुरोध करने की अनुमति देते हैं और कई अन्य सभी मतदाताओं को स्वचालित रूप से डाक में मतपत्र भेजते हैं। छूट देने के कारणों में बीमारी, चोट, विकलांगता, निर्धारित उम्र से अधिक होना, चुनाव के दिन अपने आस-पड़ोस से बाहर की यात्रा करना, घर से दूर कॉलेज का विद्यार्थी होना या सेना में सेवा करना शामिल हो सकते हैं। यदि आप डाक द्वारा मतपत्र का अनुरोध करते हैं, तो समय-सीमा पर ध्यान देना सुनिश्चित करें ताकि आपके मतपत्र को गिने जाने के लिए (डाक से भेजने के अनुमानित समय सहित) इसे समय पर लौटाया जा सके।

यदि आपको कोई गैर-मौजूद या डाक द्वारा मतपत्र मिला हो, तो इस बारे में ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़ें कि डाक द्वारा मतपत्र को कैसे और कब लौटाना है।

- वापसी लिफाफे पर अनुरोध की गई सारी जानकारी भरें। कुछ राज्यों में डाक द्वारा मतपत्र लौटाने समय लिफाफे पर नोटरी या गवाह के हस्ताक्षर अपेक्षित होते हैं।
- जब तक आपका वापसी लिफाफा यह न दर्शाए कि डाक खर्च का पूर्व-भुगतान किया गया है, तब तक अपना मतपत्र डाक में डालने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वापसी लिफाफे पर पर्याप्त डाक टिकट लगा दिया गया हो।

- [USPS की सिफारिश](#) के अनुसार, अपना मतपत्र राज्य द्वारा निर्धारित समय-सीमा से कम से कम एक सप्ताह पहले डाक से वापस भेज दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह चुनाव कार्यालय में समय पर पहुँच जाए।
- आपके क्षेत्राधिकार के कानूनों और प्रक्रियाओं के आधार पर, हो सकता है कि आप अपना डाक मतपत्र व्यक्तिगत रूप से या अपने क्षेत्राधिकार में ड्रॉप बॉक्स द्वारा लौटा पाएँ।

कई राज्य मतदाताओं को उनके डाक द्वारा मतपत्रों की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की अनुमति देते हैं।

नोट: चुनाव अधिकारी आपकी निजता को गंभीरता से लेते हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं कि आपके वोट निजी रहें। चुनाव अधिकारी इसका रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने वोट डाला है या नहीं, लेकिन वे कभी भी यह नहीं बता सकते कि आपने वोट कैसे डाला।

यदि आपके राज्य में इसकी पेशकश की जाती है, तो डाक द्वारा मतपत्र ट्रैकिंग के बारे में जानकारी सहित आपके राज्य में डाक से मतदान के बारे में आप eac.gov/vote पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डाक से मतदान की सुलभता

अपने डाक द्वारा मतपत्र का अनुरोध करने, इस पर निशान लगाने और इसे लौटाने के सुगम विकल्पों के बारे में जानकारी के लिए अपने राज्य या स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। डाक से मतदान प्रक्रिया में सुलभता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया [सर्वोत्तम पद्धतियाँ देखें](#): [डाक से मतदान की सुलभता](#)।

ड्रॉप बॉक्स कैसे काम करते हैं?

कुछ राज्य मतदाताओं को अपने डाक/गैर-मौजूद व्यक्ति मतपत्रों को सुरक्षित ड्रॉप बॉक्स में लौटाने की अनुमति देते हैं। ड्रॉप बॉक्सों से वापसी के लिए डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि इनसे मतदाता डाक सेवा के इस्तेमाल की बजाय अपना मतपत्र सीधे चुनाव अधिकारियों को लौटा पाते हैं। ऐसा करना उन मतदाताओं के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके पास डाक के जरिए अपना मतपत्र लौटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता।

ड्रॉप बॉक्स के इस्तेमाल से मतदान करने के लिए:

- अपना मतपत्र, मतपत्र वापसी लिफाफे के भीतर रखें और वापसी लिफाफे पर अनुरोध की गई सारी जानकारी भरें। कुछ राज्यों में डाक द्वारा मतपत्र लौटाने के समय लिफाफे पर नोटरी या गवाह के हस्ताक्षर अपेक्षित होते हैं।
- अपना मतपत्र अपने सुमदाय के किसी ड्रॉप बॉक्स में लौटाएँ। (नोट: सुनिश्चित करें कि ड्रॉप बॉक्स पर सुस्पष्ट रूप से चिह्नित हो कि यह उसी काउंटी, शहर या टाउनशिप से संबंधित हो जिसमें आप रहते हैं।)
- यदि ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि आप चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने से पहले ही अपना डाक द्वारा मतपत्र लौटा दें।

ड्रॉप बॉक्स सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के नियम और अपेक्षाएँ हैं। इन अपेक्षाओं में अक्सर विशिष्ट लॉक या सील, वीडियो निगरानी और अभिरक्षा अपेक्षाओं की क्रमशः शामिल होते हैं। कुछ राज्य और इलाके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में केवल सरकारी भवनों या सुरक्षित निर्धारित स्थानों पर ड्रॉप बॉक्स रखते हैं। ड्रॉप बॉक्स में रखे जाने के बाद केवल चुनाव अधिकारी (अक्सर द्विदलीय टीम) ही मतपत्र एकत्र करने के लिए अधिकृत होते हैं। चुनाव अधिकारी ड्रॉप बॉक्सों को कैसे सुरक्षित करते हैं, इस बारे में अधिक जानने के लिए, ड्रॉप बॉक्सों के कारगर इस्तेमाल और इन्हें सुरक्षित करने संबंधी EAC और साइबर सुरक्षा और अवसंरचना एजेंसी (Cybersecurity and Infrastructure Agency, CISA) द्वारा जारी [दिशानिर्देश](#) देखें।

आपके क्षेत्र में ड्रॉप बॉक्स उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए कि अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

मैं U.S. नागरिक हूँ लेकिन किसी अन्य देश में रहता/ती हूँ। मैं मतदान कैसे करूँ?

सैन्य और विदेश में रहने वाले मतदाताओं और उनके परिवारों के सामने मतदान करने के लिए अनूठी चुनौतियाँ होती हैं। अन्य संरक्षणों के साथ-साथ, संघीय कानून में यह अपेक्षित है कि (1) सैन्य और विदेश में रहने वाले मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं, और (2) संघीय चुनावों

से 45 दिन पहले मतपत्र डाक से भेजा जाता है। बहुत से राज्यों में सैन्य और विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए सभी चुनावों के लिए अतिरिक्त संरक्षण हैं, केवल संघीय चुनावों के लिए नहीं।

राज्य का कानून राज्य और संघीय चुनावों में मतदान करने के लिए विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए निवास की अपेक्षाएं निर्धारित करेगा। [संघीय मतदान सहायता कार्यक्रम Federal Voting Assistance Program \(FVAP\)](#) में ऐसे सैन्यकर्मियों, उनके परिवारों और विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए संसाधन हैं जो मतदान करना चाहते हैं। मतदाता अपने राज्य में मतदान करने और अपने मतपत्र के लिए अनुरोध करने और इसे वापस करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए FVAP की [मतदान सहायता गाइड \(Voting Assistance Guide\)](#) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मतदाता के रूप में मेरे क्या अधिकार हैं?

प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के ऐसे कानून हैं जो चुनावों को संचालित करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संघीय कानून हैं जो पात्र अमेरिकी नागरिकों के लिए मतदान अधिकारों की रक्षा करते हैं। 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम भेदभाव की मनाही करता है और अपेक्षा करता है कि क्षेत्राधिकार कुछ परिस्थितियों के सिवाए सभी में मतदान सहायता की अनुमति दें और हेल्प अमेरिका वोट अधिनियम में यह प्रावधान हैं कि (1) मतदाता अवश्य निजी रूप से और स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें, (2) उसे अपना मतपत्र डालने से पहले उसे बदलने या सही करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए, और (3) मतदाताओं को अनंतिम या सुरक्षित मतपत्र से मतदान करने की अनुमति है।

मतदान के दौरान आपके अधिकार

संघीय चुनाव कानून आपके मतदान अधिकारों और चुनाव प्रक्रिया की रक्षा करने में मदद करते हैं। आम तौर पर, मतदाताओं के निम्नलिखित अधिकार हैं:

- यदि वे मतदान बंद होने पर भी कतार में हों, तो मतदान करना
- उनसे कोई गलती होने पर दूसरे मतपत्र के लिए अनुरोध करना
- यदि वे अपने मतदान स्थल पर मतदाता सूची में नहीं हैं, तो अनंतिम (प्रोविज़नल) मतपत्र के लिए अनुरोध करना
- यदि उन्हें मतदान के तरीके को पढ़ने या समझने में सहायता की जरूरत हो, तो मतदान कर्मियों से भाषा संबंधी सहायता के लिए अनुरोध करना
- मतदान के दौरान डराया-धमकाना या परेशान न किया जाना

विकलांग व्यक्तियों द्वारा मतदान

संघीय कानून विकलांग मतदाताओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष रूप से, विकलांग मतदाताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- निजी और स्वतंत्र रूप से मतदान करना
- विकलांग मतदाताओं के लिए वोटिंग मशीनों सहित सुगम मतदान स्थल मौजूद होना

मतदाता या तो:

- अपने मतदान स्थल पर सुगम मतदान मशीन के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों से सहायता मांग सकते हैं, या
- उनके द्वारा मतदान में सहायता के लिए किसी को साथ ला सकते हैं

मतदाता उपलब्ध मतदान सहायक साधनों, मतदान सहायता और गैर-मौजूद व्यक्ति मतपत्र प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, eac.gov/vote पर जाएँ या 866-747-1471 पर फोन करके या listen@eac.gov पर ईमेल द्वारा U.S. चुनाव सहायता आयोग (U.S. Election Assistance Commission) से संपर्क करें। विकलांग अमेरिकी अधिनियम के बारे में जानकारी ada.gov पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त संसाधन

आपके राज्य के मतदाता पंजीकरण और मतदान कानूनों की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत आपका राज्य या स्थानीय चुनाव कार्यालय है। अपने राज्य या क्षेत्र की चुनाव वेबसाइट के त्वरित लिंक्स के लिए eac.gov/vote पर जाएँ।

आप संघीय कानूनों के बारे में अधिक जानकारी नागरिक अधिकार प्रभाग (Civil Rights Division) की वेबसाइट justice.gov/crt/voting-section पर देख सकते हैं।

संघीय मतदान अधिकार कानूनों और संरक्षणों की सूची और अन्य मतदान जानकारी के लिए usa.gov/voting और vote.gov पर जाएँ।